

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (42)आकाशि/नि.सं./2017/374

दिनांक- 22-6-2017


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20(तीन वर्ष) के लिए च्नातक स्तर पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है: -

संघालय संस्था का नाम एवं पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
श्री रुधाराम भादु मैमोरियल एज्यूकेशन एण्ड सोसायटी, बीकानेर।	आर.आर.बी. डिग्री कॉलेज, सुडसर, बीकानेर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित- कला संकाय- कम्प्यूटर, गृहविज्ञान, चित्रकला, भूगोल, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन।


1. संस्था सत्र 2020-21 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता-व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूम में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गार्ड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2017-18 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।


उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।


आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


PRESIDENT
Shri Rudharam Bhadu Memorial
Education Welfare Society


संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH-15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फ़ैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail:
academicmgsu@gmail.com

No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2018

Date:..

Principal,
R.R.B. Degree College,
Village-Sudsar, Teh.-Sri Dungargarh,
Distt.-Bikaner.

Subject : Provisional Fresh affiliation to start B.A. Part I without Computer Application (Voc.), for session 2018-19.

Dear Sir/Madam,

Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant provisional fresh affiliation B.A. Part I without Computer Application (Voc.) (Hindi litt., English Litt., History, Philosophy, Political Science, Sociology & Public Adm.) with 80 Seats along with compulsory subject, and 40 Seats will be reserved for Practical Subjects (Geography, Home Science & Drawing & Painting) for the session 2018-19 subject to fulfillment of following conditions:-

- To follow and observe the University Act, Statutes, Ordinances Regulations, Rules and instruction framed, amended, adopted and issued from time to time in general and specifically relating to follow curricula/course of study as prescribed by the University from time to time including scheme of examination and conduct of examinations.
- (i) **Staff**: Appointment of permanent qualified Principal and Teaching staff as per UGC norms.
(ii) **Building**: Construction of sufficient building as per guideline of the State Govt. & University provisions, playgrounds and Hostel building.
(iii) **Library**: Year-wise development of College library and provision of funds for journals and magazines be made.
(iv) **Endowment Fund**: Sufficient Endowment fund as prescribed in rules may be created.
(v) **Faculty Members**: Requisite qualified faculty members be appointed as per UGC Regulation.
(vi) **Non-Teaching Staff**: Appointment of qualified Librarian, P.T.I. and other staff be made as per University and Government rules.
(vii) **Laboratory**: More equipments, computers, dummies, cutting machines display board etc. may be arranged.
- UGC नियमानुसार वांछित शैक्षणिक दिवसों का अध्यापन कार्य सुनिश्चित करावे।
- नियमानुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावे।
- आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार उपकरणों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करे एवं एण्डोमेण्ट फण्ड की नियमानुसार व्यवस्था की जावे। उक्त शर्तों की पालना 31 दिसम्बर 2018 तक सुनिश्चित करावे।
- उक्त शर्तों की पालना की सूचना के अभाव में आगामी सत्र से सेक्शन की अभिवृद्धि पर स्वतः ही रोक लग जायेगी तथा विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- No admission beyond the number of seats allotted by the University will be made. In case admission over and above the number of seats allotted are made, the University will not conduct the Examinations of such students and the entire responsibility for the same will lie with the college authorities. This should be adhered to strictly.
- To provide the information as asked for by the University time to time including statistics etc.
Further, the application for extension in provisional Affiliation for the session 2019-20 along with requisite fee may please be sent to this office before 31st December, 2018

No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2018/ 8543-8554

st-
Registrar

Date: 5.7.18

- The OSD (Hr. Edu.) Education (Group-4) Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.
- The Commissioner College of Education, Rajasthan, Jaipur.
- The COF/COE, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
- Asstt. Registrar (Exam), Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
- Section Officer, (Exam. UG (Arts)/Secy./Enrollment), Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
- Secretary, R.R.B. Degree College, Village-Sudsar, Teh.-Sri Dungargarh, Distt.-Bikaner.
- PA to Registrar, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
- Guard File.

PRESIDENT
Shri Rughia Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

Dy. Registrar (Acad.)



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

सूचना/ Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/ E-mail: academicmgsu@gmail.com

No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2020/ 20724
To,

Date: 26/11/2020

Principal,
R.R.B. Degree College,
Sudsar, Sri Dungargarh,
Bikaner. Pin-331811

Subject: Extension in Provisional Affiliation for the Session 2019-20

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above, I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2019-20 in the following subject(s) :-


Faculty	Subjects
B.A.	Hindi Litt., English Litt., History, Philosophy, Political Sci., Sociology, Public Adm., Geography, Home Sci., Drawing & Painting along with compulsory Subjects.

Above extension is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the State Government and the University.


No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2020/

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, J.L.N. Marg. Govt. of Rajasthan, Jaipur. Pin-302015
2. The Controller of Examination, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
3. Nodal Officer, Website, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
4. P.S. to VC, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
5. Guard File.


Dy. Registrar (Acad.)
Date :

Section Officer (Acad.)


PRESIDENT
Shri Rughu Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, A.S. Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (49) काशि/नि.सं./2017/899

दिनांक: 23/12/2020

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2020-21 एवं 2021-22 (दो सत्र) में स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित विषय/संकाय एवं स्नातक स्तर नवीन विज्ञान संकाय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-


संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पूर्व/नवीन संकाय/विषय
श्री रूघाराम भादू मैमोरियल एज्युकेशन एण्ड वेल्फेयर सोसायटी, 11 ए, जवाहर नगर, बीकानेर।	आर.आर.बी. डिग्री कॉलेज, सेरूना, तह0 इंदरगढ़, बीकानेर।	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- भूगोल, अंग्रेजी सा०, हिन्दी सा०, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, चित्रकला, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र। विज्ञान संकाय- वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2022-23 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2020-21 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
 4. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
 5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
 6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 7. रक्षित पत्रावली।


PRESIDENT
Shri Raghna Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER


संयुक्त-निदेशक, नि.सं.
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH. 15, Jaisalmer Road, Bikaner- 334004 (Rajasthan) INDIA

दूरभाष / Phoe: 0151-2210076 फैक्स / Fax: 2212042 ई-मेल / E-mail: academicmgsu@gmail.com

No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2022/ 7419

Date: 10/6/22

To,

Principal,
R.R.B. Degree College,
Seruna, Shri Dungargarh,
Distt- Bikaner. Pin Code-331811

Subject : Extension in Provisional Affiliation for the Session 2020-21

Dear Sir/Madam,

With reference to your application for the purpose mentioned above, I am directed to inform you that Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college for Academic Year 2020-21 in the following subject(s) :-


Faculty	Subjects
B.A.	Hindi Litt., English Litt., History, Philosophy, Political Science, Sociology, Public Adm., Geography, Home Science and Drawing & Painting along with compulsory subjects.

Above extension is subject to fulfillment of all the conditions and norms prescribed by the State Government, University and the U.G.C.

No:- F-07(563)/MGSUB/Acad./2022/

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Commissioner, College Education, Shiksha Sankul, J.L.N. Marg, Govt. of Rajasthan, Jaipur. PIN-302015
2. The Controller of Examination, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
3. P.A. to Registrar, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner.
4. Guard File.


Dy.Registrar(Acad.)

Date :

11
Asstt. Registrar (Acad.)


PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.dce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (53)निकाशि/नि.स./2017/1118

दिनांक:- 19-09-2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 से स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
श्री रूघाराम धादु मेमोरियल एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर समाजवटी, 11 ए, जयपुर नगर, बीकानेर।	आर.आर. बी. डिग्री कॉलेज, सेरुना, तहसील-डूंगरगढ़, बीकानेर। खसरा नं. -2017/1323 कुल 9991.8 वर्गमीटर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	स्नातक स्तर पर- कला संकाय- राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, चित्रकला, हिन्दी, इतिहास, दर्शनशास्त्र। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र।


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशिक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।


आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा10 उच्च शिक्षा, मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
5. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली


PRESIDENT
Shri Rughar Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER


संयुक्त निदेशक(नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner 334004 (Rajasthan) INDIA

दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgpu@gmail.com

क्रमांक एफ-07(563)मगंसिविबी/शैक्ष./2021/

दिनांक:

संशोधित कार्यालय आदेश


विश्वविद्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 27980 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा आर.आर.बी. डिग्री कॉलेज, सूडसर, श्रीडूंगरगढ़, जिला-बीकानेर को सत्र 2020-21 हेतु जारी विज्ञान संकाय में नवीन सम्बद्धता आदेश में महाविद्यालय का नाम आर.आर.बी. डिग्री कॉलेज, सेरुणा, श्रीडूंगरगढ़, जिला-बीकानेर पढ़ा जावे। अन्य शर्तें पूर्ववर्त यथावत रहेगी।


क्रमांक : एफ-07(563)मगंसिविबी/शैक्ष./2021/30249-52


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियन्त्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. प्राचार्य, आर.आर.बी. डिग्री कॉलेज, सेरुणा, श्रीडूंगरगढ़, जिला-बीकानेर। पिन-331811
4. रक्षित पत्रावली।

Sd
उप कुलसचिव (शैक्ष.)
दिनांक: 3/2/21


अनुभाग अधिकारी (शैक्ष.)


PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER


PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER